संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्ग्रहण एवं विनिमय हेतु सामान्य सिद्वान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियॉ वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियॉ थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है] जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

shasnadesh.up.nic.in

-2-

इस संहिता के प्रारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हों। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तो पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्रान्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्षन्तर्थ सामान्य सिद्वान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

shashadesh.up.nic.in

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्वान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं मे आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गो के व्यक्तियों का ही है।

(ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।

(ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/ वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि नि:शुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/ न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूॅजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य

shashadesh.up.nic.in

उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हो, तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

-4-

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनाएं क्षैतिज में अर्थात् 180 डिग्री पर चलती हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहॉ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894/भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

(ङ) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।

(च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के बाद भी शेष रहती हो। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के बजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।

(छ) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि नि:शुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि स:शुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर 30 वर्षो के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का

shashadesh.up.nic.in

नवीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्ग्रहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि वह

-5-

वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।

(झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्ग्रहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये है। यदि हां, तो उस भूमि का पुनर्ग्रहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।

(ठ) पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (3) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।

(ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्ग्रहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।

(ढ) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।

(ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जायेगा और पुनर्ग्रहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

shashadesh.up.nic.in

(त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्ग्रहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा प्रशासकीय विभागों को दिया जायेगा।

(थ) प्रशासकीय विभाग को पुनर्ग्रहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

(द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्ग्रहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्व रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्ग्रहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्बन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।

(ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण आदेशों तथा त्रुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्ग्रहण के आदेश जारी किये जायेगें।

(न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षटमासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।

(प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा हैं। संलग्न आकार पत्र-2 में षटमासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहॉ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

shasnadesh.up.nic.in

इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनॉक

-7-

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहॉ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहॉ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रूपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के स:शुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पॉच) तथा (छ:) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पॉच) तथा (छ:) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्वान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित

shasnadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेश या किसी मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यो हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हड़ावर, श्मशान स्थल व तालाब /पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते है। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्वान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु नि:शुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि

shasnadesh.up.nic.in

स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गडढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के

shasnadesh.up.nic.in

आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर स:शुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिंचलाल तिवारी बनाम

कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियाँ इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक पारिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सकें। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम

shasnadesh.up.nic.in

वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जॉच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कब्रिस्तान, श्मसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्ही विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हॉ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेगें। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेगें कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वंय उत्तरदायी होगें।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियॉ निधारित की गयी है। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत

shasnadesh.up.nic.in

/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

हस्तान्तरित करने की छूट होगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को बिना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट संस्तुति/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33/11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियाँ यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से आच्छादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल,

shasnadesh.up.nic.in

पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को व उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कबाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु 1.50 एकड़

(ख) अर्द्वशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2.00 एकड़

(ब) 132 के.वी. 3.50 एकड़

(स) 220 के.वी. 10.00 एकड़

(द) 400 के.वी. 50.00 एकड़

(य) 765 के.वी. 82.00 एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि स:शुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पॉच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

shasnadesh.up.nic.in

3. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
7. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

आदेश

संख्या................................ दिनांक ....

शासनादेश संख्या.............................दिनांक..........................का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या .... दिनॉक..........द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....................जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त..............................संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक............................के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:-(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही

								है)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

आज्ञा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

➢ टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

<u>आकार पत्र 2</u>

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्ग्रहीत की गई भूमि का षटमासिक विवरण

30 जून, 20…………………/31 दिसम्बर, 20……………………को समाप्त होने वाला षटमास, जिला ………………………………, तहसील ………………………………परगना…………………

क्र0सं0	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्ग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्ग्रहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्ग्रहीत की गई भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं	ग्राम जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक	भूमि का मूल्य तथा पूँजीकृत मूल्य	पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि व आदेश संख्या/विभाग	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नाम व पदनाम

shashadesh.up.nic.in

भूमि की प्रकृति/श्रेणी	स्थित है			किराया	जमा करने का विवरण	जिसके लिए पुनर्ग्रहण किया गया	सहित
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**

----

shasnadesh.up.nic.in